कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री ही—रीच कान्सट्रक्शन इक्यूपमेन्ट प्रा0लि0, ई—12, साइट—4, इण्डस्ट्रियलएरिया, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, साहिबाबाद, गाजियाबाद।**

प्रा0प0सं0— **399 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री के0के0मिश्रा, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 3—।।—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह `बेंविसकपदहऐीनजजमतपदहएतिंउमूवता का निर्माण व बिक्री का कार्य करते है, वह इक्यूपमेन्ट है अतः वैट अधिनियम की अनुसुची—2—क के क्रमांक —26 के अन्तर्गत आने के कारण 4 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या—576 दिनांक 22—0।—2009 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार व्यापारी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा—59 के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है क्योंकि व्यापारी के मामलें में दिनांक 28—11—08 को अस्थाई कर निर्धारण की कार्यवाही की जा चुकी है जिसके विरुद्व व्यापारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—2, अपील, गाजियाबाद के समक्ष प्रथम अपील भी दायर की जा चुकी है। वर्णित परिस्थितियों में चूंकि व्यापारी का मामला उपरोक्त विषय में अपीलेट कोर्ट के अन्तर्गत लम्बित चल रहा है। अतः धारा 59(।) के अन्तर्गत उपरोक्त प्रार्थना पत्र ग्राहय न होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपनी आख्या में यह भी कहा गया है कि व्यापारी द्वारा उत्पादित माल कोई विशेष प्रकार का इक्यूपमेन्ट न होकर विभिन्न प्रकार का सैटरिंग मैटेरियल है जो किसी भी अनुसुची में वर्गीकृत नहीं है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री के0के0मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या, विद्वान अधिवक्ताद्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया। वर्णित परिस्थितियों में व्यापारी का धारा—59 का प्रार्थना पत्र ग्राहय न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0 / 10—2—09

दिनांकः:10 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।